

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 4(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी गाजियाबाद, उप जिला सदर पंचम गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार में स्थित कृषि/गैर कृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हैक्टयर/प्रति वर्ग मीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर न्यूनतम मासिक किराया के, वार्षिक दरों का निर्धारण करते है, यह दरें दिनांक 01 अगस्त 2014 से प्रभावी होंगी।



(विमल कुमार शर्मा),  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

## कार्यालय उपनिबन्धक सदर (पंचम), गाजियाबाद।

भाग-1

प्रारूप-1

राजस्त्रीकरण उप जिला-सदर पंचम जिला-गाजियाबाद में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण-  
क-नगरीय क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मौहल्ले का नाम	मौहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मौहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये।	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	विजय नगर पुरानी आबादी		विजय नगर	0751
2	विजय नगर जी0डी0ए0 कालौनी से0-9 व से0-11		विजय नगर	0752
3	प्रताप विहार जी0डी0ए0 कालौनी सेक्टर-11		प्रताप विहार वार्ड	0822
4	प्रताप विहार जी0डी0ए0 कालौनी से0-12		प्रताप विहार वार्ड	0813
5	प्रताप विहार भाउराव देवरस योजना		प्रताप विहार वार्ड	0823
6	प्रताप विहार डे0टू0डे0 मॉल		प्रताप विहार वार्ड	0848
7	सिद्धार्थ विहार योजना		प्रताप विहार वार्ड	0822
8	प्रतीक ग्रुप हाऊसिंग एवं ए0के0जी0 ग्रुप हाऊसिंग		सिद्धार्थ विहार	
9	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जी-ब्लॉक तक		प्रताप विहार	0827
10	प्रताप विहार जे-ब्लॉक से सम्राट सागर चौक तक		प्रताप विहार, विजय नगर	0826
11	विजय नगर थाने से उत्सव भवन तक		विजय नगर पुराना व विजय नगर नया	0809

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/सा0),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

12	विजय नगर चाणक्य चौक से शिवपुरी तक		विजय नगर, शिवपुरी	0810
13	विजय नगर थाने से संतोष मंडिकल कॉलेज तक		प्रताप विहार	0824
14	जी0टी0रोड से गऊशाला फाटक होकर धारा सिंह कॉलेज होते हुये सम्राट सागर चौक तक		कैलाश नगर, प्रेम नगर, कैला, गऊपुरी,	0808
15	एम0एम0जी0हॉस्पिटल जी0टी0रोड से हापुड मोड तिराहे तक		जस्सीपुरा	0831
16	मूड भारत नगर / रामपुरी	विजय नगर	विजय नगर	0774
17	शंकरपुरी	विजय नगर	विजय नगर	0781
18	अम्बेडकरनगर	विजय नगर	विजय नगर	0780
19	शिवपुरी	मवई	प्रताप विहार	0782
20	सर्वादय नगर	मवई	प्रताप विहार वार्ड	0764
21	चौधरी चरण सिंह कालोनी	मवई	प्रताप विहार वार्ड	0765
22	मिर्जापुर	मिर्जापुर	मिर्जापुर वार्ड	1056
23	माता कालोनी	मिर्जापुर	माता कालोनी वार्ड	0760
24	मवई	मवई	बागू व मवई वार्ड	0756
25	शाहबाद उर्फ मिटठेपुर	लोनी	कैला वार्ड	1060
26	किश्यन नगर बागू	मवई	बागू व मवई वार्ड	0754
27	भीमनगर	मवई	बागू व मवई वार्ड	0762
28	कैलाश नगर	कैला	कैलाश नगर वार्ड	0768
29	कैला खेडा	कैला	कैलाश नगर वार्ड	0770
30	कैला	कैला	कैलाश नगर वार्ड	0803
31	माधोपुरा	मिर्जापुर	गऊपुरी वार्ड	0776
32	गऊपुरी	कैला	गऊपुरी वार्ड	0071
33	सुन्दरपुरी	मिर्जापुर	गऊपुरी वार्ड	0073
34	छोटा कैला	कैला	इस्लाम नगर वार्ड	0803
35	इस्लाम नगर	कैला	इस्लाम नगर वार्ड	0804
36	कैला भट्टा	कैला	कैला भट्टा वार्ड	0832
37	हारिकापुरी	कैला	कैला प्रेमनगर वार्ड	0830

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद ।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद ।

अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०),  
गाजियाबाद ।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।

38	प्रेमनगर	कैला	कैला प्रेमनगर वार्ड	0829
39	भटलजाल	कैला	कैला प्रेमनगर वार्ड	0829
40	जस्सीपुरा	कैला		0831
41	शास्त्रीनगर ए-ब्लाक से जी-ब्लाक तक		शास्त्रीनगर	0820
42	शास्त्रीनगर एच-ब्लाक से एम-ब्लाक तक		शास्त्रीनगर	0795
43	शास्त्रीनगर (चार मंजिला भवन ई0डब्ल्यूएस0)		शास्त्रीनगर	0795
44	कविनगर चौराहे से कारटे मोड तक		शास्त्रीनगर	0784
45	कारटे मोड से हापुड रोड तक		शास्त्रीनगर	0785
46	हापुड चुंगी से पुलिस लाईन होते हुए हरसाव मौजा तक		शास्त्रीनगर चिरंजीव विहार अवनिका हरसांव	0786
47	हापुड रोड से चिरंजीव विहार तक ई व एक ब्लॉक के बीच		शास्त्रीनगर चिरंजीव विहार अंसल कालोनी हरसांव	0787
48	गैस एजन्सी से कविनगर औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली सड़क		शास्त्रीनगर रजापुर	0788
49	रजापुर रेलवे कासिंग से सुख सागर फार्म हाऊस होते हुये एन एच 24 तक		पाण्डव नगर महरोली पुरानी आबादी रजापुर	0821
50	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (महरोली मौजा की सीमा में)		महरोली	0827
51	रजापुर (गांव की पुरानी आबादी)	रजापुर	महरोली हरसांव	0798
52	रजापुर जीवन विहार	रजापुर	महरोली हरसांव	0791
53	रजापुर महेंद्रा इन्कलेव / बैंक इन्कलेव	रजापुर	महरोली हरसांव	0796
54	रजापुर महाराणा प्रताप नगर कालोनी	रजापुर	महरोली हरसांव	0789
55	रजापुर विवेकानन्द भाटिया पोर्टरी व अन्य कालोनी की दर	रजापुर	महरोली हरसांव	0790
56	हरसांव (गांव की पुरानी आबादी)	हरसांव	महरोली हरसांव	0800
57	हरसांव कृष्णा गार्डन / विष्णु गार्डन	हरसांव	महरोली हरसांव	0801
58	हरसांव रामबाग कालोनी	हरसांव	महरोली हरसांव	0802
59	हरसांव दुर्गा विहार / दुर्गा इन्कलेव व अन्य कालोनी की भूमि की दर	हरसांव	महरोली हरसांव	0802
60	हरसांव पंचशील प्राइमरोज में भूमि की दर	हरसांव	हरसांव	
61	चिरंजीव विहार अवनिका फेस-1 व फेस-2 एवं अंसल द्वारा विकसित कालोनी	रजापुर, हरसांव, महरोली	महरोली हरसांव	0794

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा10),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

61	महसैली (एन एच-24 का पश्चिमी भाग)	महसैली	ग्राम परगना डासना	0777
62	महसैली (एन एच-24 का पूर्वी भाग)	महसैली	ग्राम परगना डासना	
63	सहकारी नगर (महसैली)	महसैली	ग्राम परगना डासना	0792
64	महसैली स्थित-गूलमोहर टावर	महसैली	ग्राम परगना डासना	0845
65	महसैली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोलक लिंक व तनुश्री, महागुनपुरम, आशियाना, में स्थित विकसित भूमि की दर	महसैली	ग्राम परगना डासना	0845
66	महसैली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोलक लिंक में हाऊसिंग प्लाट की दर	महसैली	नगरीय	
67	महसैली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोलक लिंक में (अविकसित प्लाट) की दर	महसैली	ग्राम परगना डासना	0845
68	महसैली स्थित-पाण्डव नगर (औद्योगिक क्षेत्र)	महसैली	ग्राम परगना डासना	0845
69	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) की प्लाट की दर	वैब सिटी	वैब सिटी	1201
70	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) के ग्रुप हाऊसिंग की दर	वैब सिटी	वैब सिटी	
71	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) के व्यवसायिक प्लाट की दर	वैब सिटी	वैब सिटी	
72				

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

## ख-अर्धनगरीय क्षेत्र

उप जिला.....के अधीन अर्धनगरीय क्षेत्र (विकास प्राधिकरण....., आवास विकास परिषद या नगर क्षेत्र की दो कि०मी० की परिधि के अर्न्त आने वाला क्षेत्र	राजस्व ग्राम या मौहल्ले का नाम	मौहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये।	परगना या हल्का का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	महरोली		डासना	1014
2	बयाना (गांव की पुरानी आबादी)		डासना	
3	बयाना (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)		डासना	
4	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (गांव की पुरानी आबादी)		डासना	
5	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)		लोनी	0757
6	अकबरपुर बहरामपुर राहुल विहार, बौद्ध विहार, अक्षत विहार रेल समिति, बसन्त वैली, रघुनाथपुरी, की भूमि की दर		लोनी	
7	अकबरपुर बहरामपुर कश्यप सिंधि व अन्य कालोनी की दर		लोनी	0827
8	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (अकबरपुर बहरामपुर व मवाई मौजा की सीमा में)	अकबरपुर बहरामपुर व मवाई	लोनी	0827
9	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से नोएडा ग्रेटर नोएडा सड़क	अकबरपुर बहरामपुर	लोनी	0827
10	अगरौला		लोनी	1001
11	गाजियाबाद लोनी शाहदरा सहारनपुर रोड	अगरौला मण्डौला	लोनी	0816
12	मण्डौला		लोनी	1045
13	पंचलोक (मण्डौला)	मण्डौला	लोनी	
14	लुल्फुल्लापुर नवादा		लोनी	1006

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

15	तुल्कुल्लापुर नवादा / सामपार्क एक्सप्टेशन		लोनी	0838
16	मिलक बामला		लोनी	1007
17	हरमपुर		लोनी	1005
18	मीरपुर हिन्दू		लोनी	1029
19	मसूदाबाद बामला		लोनी	1008
20	बदरपुर		लोनी	1030
21	अलियाबाद		लोनी	1027
22	अल्लीपुर		लोनी	1002
23	बयाना		जासना	1089
24	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा		जासना	1112

### ग-ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	उप जिलों के अधीन आने वाला ग्रामीण क्षेत्र	परगना या इल्का का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	नानू		लोनी	1046
2	पचायरा		लोनी	1018

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

उप जिला सदर पंचम जिला गाजियाबाद के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (वैसिक वेल्थ)

सौफटवेयर में आंबाटित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड या हल्का का नाम	नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (रूपये में) 9 मीटर / 30 फुट चौड़ी सडक पर
1	2	3	4	5
0751	विजय नगर पुरानी आबादी	विजय नगर	नगरीय	25,000
0807	विजय नगर जी0डी0ए0 कालौनी सै0-9 व सै0-11	विजय नगर	नगरीय	28,000
0822	प्रताप विहार जी0डी0ए0 कालौनी सैक्टर-11	प्रताप विहार वार्ड	नगरीय	28,000
0813	प्रताप विहार जी0डी0ए0 कालौनी सै0-12	प्रताप विहार वार्ड	नगरीय	28,000
0823	प्रताप विहार भाउराव देवरस योजना	प्रताप विहार वार्ड	नगरीय	28,000
0848	प्रताप विहार डे0टू0डे0 मॉल	प्रताप विहार वार्ड	नगरीय	45,000
0822	सिद्धार्थ विहार योजना	प्रताप विहार	नगरीय	28,000
	प्रतीक ग्रुप हाऊसिंग एवं एं0के0जी0 ग्रुप हाऊसिंग	सिद्धार्थ विहार	नगरीय	30,000
0774	भूड भारत नगर / रामपुरी	विजय नगर	नगरीय	17,000
0819	शकरपुरी	विजय नगर	नगरीय	17,000
0780	अम्बेडकरनगर	विजय नगर	नगरीय	17,000
0817	शिवपुरी	मवई	नगरीय	17,000
0764	सर्वादय नगर	मवई	नगरीय	17,000
0765	चौधरी चरण सिंह कालौनी	मवई	नगरीय	17,000
1056	मिर्जापुर	मिर्जापुर	नगरीय	17,000
0760	माता कालौनी	मिर्जापुर	नगरीय	17,000
0756	मवई	मवई	नगरीय	17,000
1060	शाहबाद उर्फ मिटठेपुर	लोनी	नगरीय	14,000
0754	किश्चयन नगर बागू	मवई	नगरीय	17,000

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।



0762	भीमनगर	मवई	नगरीय	17,000
0768	कैलाश नगर	कैला	नगरीय	17,000
0770	कैला खेडा	कैला	नगरीय	15,000
0832	कैला	कैला	नगरीय	15,000
0776	माथोपुरा	भिर्जापुर	नगरीय	17,000
0771	गऊपुरी	कैला	नगरीय	17,000
0773	सुन्दरपुरी	भिर्जापुर	नगरीय	17,000
0803	छोटा कैला	कैला	नगरीय	15,000
0804	इस्लाम नगर	कैला	नगरीय	15,000
0832	कैला भट्टा	कैला	नगरीय	15,000
0830	झारिकापुरी	कैला	नगरीय	17,000
0829	प्रेमनगर	कैला	नगरीय	17,000
0829	भट्टाजात	कैला	नगरीय	15,000
0831	जस्सीपुरा	कैला	नगरीय	18,000
0820	शास्त्रीनगर ए-ब्लाक से जी-ब्लाक तक		नगरीय	40,000
0795	शास्त्रीनगर एच-ब्लाक से एम-ब्लाक तक		नगरीय	40,000
	शास्त्रीनगर (चार मंजिला भवन ई0डब्ल्यूएस0)		नगरीय	35,000
0798	रजापुर (गांव की पुरानी आबादी)	रजापुर	नगरीय	14,000
0791	रजापुर जीवन विहार	रजापुर	नगरीय	25,000
0796	रजापुर महेन्द्रा इन्कलेव/बैंक इन्कलेव	रजापुर	नगरीय	23,000
0789	रजापुर महाराणा प्रताप नगर कालोनी	रजापुर	नगरीय	23,000
0790	रजापुर विवेकानन्द कालोनी भाटिया पोर्टरी व अन्य कालोनी की दर	रजापुर	नगरीय	18,000
0800	हरसांव (गांव की पुरानी आबादी)	हरसांव	नगरीय	14,000
0801	हरसांव कृष्णा गार्डन/विष्णु गार्डन	हरसांव	नगरीय	15,000
0801	हरसांव रामबाग कालोनी	हरसांव	नगरीय	15,000
0802	हरसांव दुर्गा विहार/दुर्गा इन्कलेव व अन्य कालोनी की दर	हरसांव	नगरीय	15,000
	पंचशील प्राइमरोज में भूमि की दर	हरसांव	नगरीय	18,000
0794	चिरंजीव विहार अवन्तिका फेस-1 व फेस-2 एवं अंसल द्वारा विकसित कालोनी	रजापुर, हरसांव, महसौली	नगरीय	30,000

उप निबन्धक (पंचम)  
गजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गजियाबाद।

0777	महसौली (एन एच-24 का पश्चिमी भाग)	महसौली	नगरीय	16,500
	महसौली (एन एच-24 का पूर्वी भाग)	महसौली	नगरीय	16,000
0792	सहकारी नगर (महसौली)	महसौली	नगरीय	18,000
0845	महसौली स्थित-गुलमोहर टावर	महसौली	नगरीय	28,000
0845	महसौली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोल्फ लिंक व तनुश्री, महागुनपुरम, आशियाना, में स्थित विकसित भूमि की दर	महसौली	नगरीय	24,000
0845	महसौली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोल्फ लिंक में गूण हाऊसिंग प्लॉट की दर	महसौली	नगरीय	16,500
0845	महसौली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोल्फ लिंक (अविकसित प्लॉट)	महसौली	नगरीय	16,500
0845	महसौली स्थित-पाण्डव नगर (औद्योगिक क्षेत्र)	महसौली	नगरीय	16,500
1201	वैब सिटी (महसौली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) की प्लॉट की दर	महसौली	नगरीय	14,000
	वैब सिटी (महसौली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) के गूण हाऊसिंग की दर	महसौली	नगरीय	14,000
	वैब सिटी (महसौली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) के व्यवसायिक प्लॉट की दर	एगुवड लेयआउट प्लॉट के अनुसार	नगरीय	19,000
0778	बयाना (गांव की पुरानी आबादी)	डाराना	अर्धनगरीय	5,500
	बयाना (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)	डाराना	अर्धनगरी	7,000
0779	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (गांव की पुरानी आबादी)	डाराना	अर्धनगरीय	6,000
	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)	डाराना	अर्धनगरीय	7,500
0757	अकबरपुर बहरामपुर राहुल विहार, बौद्ध विहार, अक्षत विहार रेल समिति, बसन्त वैली, रघुनाथपुरी, की भूमि की दर	लोनी	अर्धनगरीय	16,000
	अकबरपुर बहरामपुर कश्यप सिबि व अन्य कालोनी की दर	लोनी	अर्धनगरीय	15,500
1001	अगरौला	लोनी	अर्धनगरीय	7,000
1045	मण्डौला	लोनी	अर्धनगरीय	8,000
	पंचलोक (मण्डौला)	लोनी	अर्धनगरीय	8,000
1006	तुल्कुल्लापुर नवादा	लोनी	अर्धनगरीय	7,500
0838	तुल्कुल्लापुर नवादा / रामपार्क एक्सटेंशन	लोनी	अर्धनगरीय	9,000

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

1007	मिलक बामला	लोनी	अर्धनगरीय	5,000
1005	हरमपुर	लोनी	अर्धनगरीय	4,500
1029	भीरपुर हिन्दू	लोनी	अर्धनगरीय	7,500
1008	मसूदाबाद बामला	लोनी	अर्धनगरीय	3,800
1030	बदरपुर	लोनी	अर्धनगरीय	3,400
1027	अलियाबाद	लोनी	अर्धनगरीय	4,400
1002	अल्लीपुर	लोनी	अर्धनगरीय	3,200
1046	नानू	लोनी	ग्रामीण	4,200
1018	पचायरा	लोनी	ग्रामीण	3,200

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

## प्रारूप-3 (क) व (ख)

नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की न्यूनतम दरें राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर

क-उप जिला सदर पंचम जिला गाजियाबाद के अधीन नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र पर मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर

क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहा से कहा तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आंबटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दर (प्रतिवर्ग मीटर रूपये में)		वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये (प्रतिवर्ग मीटर रूपये में)		
			दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य		
1-राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जी-ब्लॉक तक	प्रताप विहार	0827	40000	400	350	300	
2-प्रताप विहार जे-ब्लॉक से सम्राट सागर चौक तक	प्रताप विहार, विजय नगर	0826	40000	400	350	300	
3-विजय नगर थाने से उत्सव भवन तक	विजय नगर पुराना व विजय नगर नया	0809	38000	400	350	300	
4-विजय नगर चाणक्य चौक से शिवपुरी तक	विजय नगर, शिवपुरी	0810	38000	400	350	300	


उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।


जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

5-विजय नगर थाने से संतोष मेडिकल कॉलेज तक	प्रताप विहार	0824	40000	400	350	300
6-प्रताप विहार (डे0टू0डे0 मॉल)	प्रताप विहार	0848	45000	420	370	350
7-जी0टी0रोड से गऊशाला फाटक होकर धारा सिंह कॉलेज होते हुये सम्राट सागर चौक तक	कैलाश नगर, प्रेम नगर, कैला, गऊपुरी	0808	34000	400	350	300
8-एम0एम0जी0हॉस्पिटल जी0टी0रोड से हापुड मोड तिराहे तक	जस्सीपुरा / कैला / द्वारिकापुर <sup>१</sup>	0831	55000	400	350	300
9-कविनगर चौराहे से कारटे मोड तक	शास्त्रीनगर	0784	45000	400	350	300
10-कारटे मोड से हापुड रोड तक	शास्त्रीनगर	0785	45000	400	350	300
11-हापुड चुंगी से पुलिस लाईन होते हुये हरसांव मौजा तक	शास्त्रीनगर चिरंजीव विहार अवन्तिका हरसांव	0786	55000	400	350	300
12-हापुड रोड से चिरंजीव विहार तक ई व एक ब्लॉक के बीच	शास्त्रीनगर चिरंजीव विहार अंसल कालोनी हरसांव	0787	45000	400	350	300


  
उप निबन्धक (प्रथम)  
गजियाबाद।


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गजियाबाद।


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गजियाबाद।


  
जिलाधिकारी,  
गजियाबाद।

13-गैस एजेन्सी से कविनगर औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली सड़क	शास्त्रीनगर रजापुर	0788	45000	400	350	300
14-रजापुर रेलवे कासिंग से सुख सागर फार्म हाऊस होते हुये एन एच 24 तक	पाण्डव नगर औद्योगिक क्षेत्र महरौली, रजापुर	0821	30000	400	350	300
15-राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (महरौली मौजा की सीमा में)	महरौली	0827	30000	350	300	250
16-राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (अकबरपुर बहरामपुर व मवई मौजा की सीमा में)	अकबरपुर बहरामपुर व मवई	0827	30000	350	300	250
17-राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से नोएडा ग्रेटर नोएडा सड़क	अकबरपुर बहरामपुर	0827	30000	350	300	250
18-गाजियाबाद लोनी शाहदरा सहारनपुर रोड	अगरोला मण्डोला	0816	20000	250	230	200

  
उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

## प्रारूप-4 (क)

इस प्रारूप में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर समस्त उप जिलों के अधीन सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरी तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में की इंगित की जायेगी। क-

प्रारूप-1 में आंशित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	श्रेणी नगरीय अर्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दर (प्रतिवर्ग मीटर रूपये में)	18 मीटर / 60 फुट से अधिक चौड़े रास्ते पर	वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की दर (रु० में)	राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर (रूपये में)	लिक सडक पर स्थित भूमि	आबादी से सटी हुयी भूमि	सामान्य भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0751	विजय नगर पुरानी आबादी	नगरीय	26000	27000	250	-	-	-	
0752	विजय नगर जी०डी०ए० कालौनी सै०-9 व सै०-11	नगरीय	29000	30000	275	-	-	-	
0822	प्रताप विहार जी०डी०ए० कालौनी सैक्टर-11	नगरीय	29000	30000	275	-	-	-	
0813	प्रताप विहार जी०डी०ए० कालौनी सै०-12	नगरीय	29000	30000	275	-	-	-	
0823	प्रताप विहार भाउराव देवरस योजना	नगरीय	29000	30000	275	-	-	-	
0846	प्रताप विहार डे०टू०डे० मॉल	नगरीय	45000	45000	375	-	-	-	
0822	सिद्धार्थ विहार योजना	नगरीय	29000	30000	275	-	-	-	
0774	प्रतीक गुप हाऊसिंग एवं ए० के० जी० गुप हाऊसिंग	नगरीय	32000	33000	275	-	-	-	
0819	भूड भारत नगर / रामपुरी शकरपुरी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-	

उप निबन्धक (पंचम)  
गजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गजियाबाद।

0780	अम्बेडकरनगर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0817	शिवपुरी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0764	सर्गोदय नगर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0765	चौधरी चरण सिंह कालोनी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
1056	मिर्जापुर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0760	माता कालौनी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0756	मवई	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
1060	शाहबाद उर्फ मिटठेपुर	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0754	किश्चयन नगर बागू	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0762	भीमनगर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0768	कैलाश नगर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0770	कैला खेडा	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0832	कैला	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0776	माधोपुरा	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0771	गाऊपुरी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0773	सुन्दरपुरी	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0803	छोटा कैला	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0804	इस्लाम नगर	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0832	कैला भट्टा	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0830	हारिकापुरी	नगरीय	20000	22000	200	-	-	-
0829	प्रेमनगर	नगरीय	18000	19000	200	-	-	-
0828	भट्टाजात	नगरीय	16000	17000	200	-	-	-
0831	जस्सीपुरा	नगरीय	20000	22000	220	-	-	-
0820	शास्त्रीनगर ए-ब्लाक से जी-ब्लाक तक	नगरीय	42000	44000	300	-	-	-
0783	शास्त्रीनगर एच-ब्लाक से एम-ब्लाक तक	नगरीय	42000	44000	300	-	-	-
	शास्त्रीनगर (चार मंजिला भवन ई0डब्ल्यूएस0)	नगरीय	38000	40000	300	-	-	-
0798	रजापुर (गांव की पुरानी आबादी)	नगरीय	15000	16000	200	-	-	-

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।



0791	रजापुर जीवन विहार	नगरीय	25500	26000	200	-	-	-
0796	रजापुर महेन्द्रा इन्कलेव / बैंक इन्कलेव	नगरीय	24000	25000	200	-	-	-
0789	रजापुर महाराणा प्रताप नगर कालौनी	नगरीय	24000	25000	200	-	-	-
0790	रजापुर विवेकानन्द कालौनी भाटिया पोर्टरी व अन्य कालौनी की दर	नगरीय	19000	20000	200	-	-	-
0800	हरसांव (गांव की पुरानी आबादी)	नगरीय	15000	16000	240	-	-	-
0801	हरसांव कृष्णा गार्डन / विष्णु गार्डन	नगरीय	16000	17000	240	-	-	-
0801	हरसांव रामबाग कालौनी	नगरीय	16000	17000	240	-	-	-
0802	हरसांव दुर्गा विहार / दुर्गा इन्कलेव व अन्य कालौनी की दर	नगरीय	16000	17000	240	-	-	-
	पंचशील प्राइमरोज	नगरीय	18200	18500	260	-	-	-
0794	चिरंजीव विहार अवन्तिका फेस-1 व फेस-2 एवं अंसल द्वारा विकसित कालौनी	नगरीय	31000	32000	240	-	-	-
	महसौली (एन एच-24 का पश्चिमी भाग)	नगरीय	17500	18500	220	-	-	-
	महसौली (एन एच-24 का पूर्वी भाग)	नगरीय	17000	18000	220	-	-	-
0792	सहकारी नगर (महसौली)	अर्धनगरीय	19000	20000	250	-	-	-
0845	महसौली स्थित-गुलमोहर टावर	अर्धनगरीय	29000	30000	260	-	-	-
0845	महसौली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोल्फ लिंक व तनुश्री, महागुनपुरम, आशियाना में विकसित भूमि की दर	अर्धनगरीय	24500	25000	260	-	-	-
	महसौली स्थित-लैण्डकाफ्ट / गोल्फ लिंक में गुप हाकसिंग प्लॉट की दर	अर्धनगरीय	17500	18500	220	-	-	-

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

0845	महसैली स्थित-लैण्डकाफ्ट/गोल्फ लिंक (अविकसित प्लॉट)	अर्धनगरीय	17500	18500	220	-	-	-
0845	महसैली स्थित-पाण्डव नगर (औद्योगिक क्षेत्र)	अर्धनगरीय	17500	18500	220	-	-	-
1201	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) की प्लॉट की दर	अर्धनगरीय	14200	14500	220	-	-	-
	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) के गुण हाऊसिंग की दर	अर्धनगरीय	14200	14500	220			
	वैब सिटी (महसैली, सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, बयाना) की व्यवसायिक प्लॉट की दर	अर्धनगरीय	19500	20000	250			

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

1114	महरौली	अर्धनगरीय	—	—	—	5,00,00,000	5,80,00,000	4,00,00,000
1089	बयाना (पुरानी गांव की आबादी व कृषि की दर)	अर्धनगरीय	6500	7000	150	2,80,00,000	3,10,00,000	2,40,00,000
	बयाना (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)	अर्ध नगरीय	8000	9000	150	—	—	—
1112	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (पुरानी गांव की आबादी व कृषि की दर)	अर्धनगरीय	8500	9000	150	2,80,00,000	3,10,00,000	2,40,00,000
	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा (वैब सिटी से भिन्न कालोनी की दर)	अर्धनगरीय	8000	9000	150	—	—	—
1063	अकबरपुर बहरामपुर	अर्धनगरीय	—	—	—	5,00,00,000	5,80,00,000	4,00,00,000
1001	अगरौला	अर्धनगरीय	8000	8500	150	1,60,00,000	1,80,00,000	1,40,00,000
1045	मण्डौला	अर्धनगरीय	8500	9000	150	1,60,00,000	1,80,00,000	1,40,00,000
	पंचलोक मण्डौला	अर्धनगरीय	8500	9000	150	1,60,00,000	1,80,00,000	1,40,00,000
1006	तुलफुल्लापुर नवादा	अर्धनगरीय	7500	8000	150	1,10,00,000	1,40,00,000	95,00,000
0838	तुलफुल्लापुर नवादा / रामपार्क एक्सटेंशन	अर्धनगरीय	9500	10000	150	—	—	—


उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।


जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

1007	निलक बामला	अर्धनगरीय	5500	6000	150	60,00,000	65,00,000	52,00,000
1005	हरमपुर	अर्धनगरीय	5000	5500	150	60,00,000	65,00,000	52,00,000
1029	मीरपुर हिन्दू	अर्धनगरीय	8000	8500	150	70,00,000	80,00,000	65,00,000
1008	मसूदाबाद बामला	अर्धनगरीय	4000	4500	140	32,00,000	35,00,000	28,00,000
1030	बदरपुर	अर्धनगरीय	3600	4000	140	32,00,000	35,00,000	28,00,000
1027	अलिथाबाद	अर्धनगरीय	4600	5000	140	40,00,000	45,00,000	35,00,000
1002	अल्लीपुर	अर्धनगरीय	3400	3600	140	30,00,000	36,00,000	27,00,000
1046	नानू	ग्रामीण	4500	5000	140	65,00,000	76,00,000	60,00,000
1018	पचायरा	ग्रामीण	3600	4000	140	40,00,000	45,00,000	35,00,000

  
उपनिबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद ।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद ।

  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद ।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।

4 (ख)

सडक पर स्थित खसरा नम्बरों का विवरण, यदि मुख्य रोड पर है तो मुख्य रोड का नाम शीर्षक में देकर उसके नीचे खसरा नम्बरों की सूची दी जाये।

प्रारूप-1 में आंबटित किया गया वी-कोड	राजस्व ग्राम का नाम	सडक पर स्थित खसरा नम्बरों का विवरण, यदि मुख्य रोड पर है तो मुख्य रोड का नाम शीर्षक में देकर उसके नीचे खसरा नम्बरों की सूची दी जाये।	आबादी से सटे हुये खसरा नम्बरान की सूची
0777	महरोली	राष्ट्रीय राजमार्ग- 575,590,591,593,594,602,603,604,606,610,613,615,620,624,625,630,640,641,643,644,645,647,648,653,654,657,661,662,663,664,665,667,668,771,773,774,775,777,780,781,782,783,784,785,787,789,791,793,815,816,817,829,918,919,920,954,958,959,960,961,963,964,969,970,973,954,976,994,1005,1006,1007,1008,1018,1024,1025,1027,1028,1030,1031,1035,1036,1037,1038,1040,1042,1043,1044,1045,1048,1055,1056,1059,1060,1063,1064,1073,1074.	
1045	मण्डौला	राष्ट्रीय राजमार्ग- 1796,1797,1799,1803,1804,1805,1806,1811,1812,1832,1835,1842,1843,1845,1846,1844,1854,1855,2424,2437,2438,2422,2441,2442,2443,2444,2451,2452,2454,2455,2476,2503,255,2506,2507,2508,2557,2558,2556,2559,2568,2569,2570,2571,2576,2577,2578,2581,2582,2589,2591,2596,2597,2599,2600,2601,314,315,316,319,1794,1793,1776,1774,1773,1772,1771,1763,1762,1761,1760,1705,1604,1603,1602,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595,1594,1593,1592,1548,1549,1518,1517,1516,1515,1514,1491,1489,1487,1483,1482,1481,1423,1422,1417,1409,1408,1406,1405,1403,1402,1400,1399,1398,1397,1316,1315,1314,1313,1312,1311,1310,1309,1308,1307,1306,1305,1304,1303,1302,1301,1300,1299,1298,1297,1296,1295,1294,1293,1292,1291,1290,1289,1288,1287,1286,1285,1284,1283,1282,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1275,1274,1273,1272,1271,1270,1269,1268,1267,1266,1265,1264,1263,1262,1261,1260,1259,1258,1257,1256,1255,1254,1253,1252,1251,1250,1249,1248,1247,1246,1245,1244,1243,1242,1241,1240,1239,1238,1237,1236,1235,1234,1233,1232,1231,1230,1229,1228,1227,1226,1225,1224,1223,1222,1221,1220,1219,1218,1217,1216,1215,1214,1213,1212,1211,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,1203,1202,1201,1200,1199,1198,1197,1196,1195,1194,1193,1192,1191,1190,1189,1188,1187,1186,1185,1184,1183,1182,1181,1180,1179,1178,1177,1176,1175,1174,1173,1172,1171,1170,1169,1168,1167,1166,1165,1164,1163,1162,1161,1160,1159,1158,1157,1156,1155,1154,1153,1152,1151,1150,1149,1148,1147,1146,1145,1144,1143,1142,1141,1140,1139,1138,1137,1136,1135,1134,1133,1132,1131,1130,1129,1128,1127,1126,1125,1124,1123,1122,1121,1120,1119,1118,1117,1116,1115,1114,1113,1112,1111,1110,1109,1108,1107,1106,1105,1104,1103,1102,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095,1094,1093,1092,1091,1090,1089,1088,1087,1086,1085,1084,1083,1082,1081,1080,1079,1078,1077,1076,1075,1074,1073,1072,1071,1070,1069,1068,1067,1066,1065,1064,1063,1062,1061,1060,1059,1058,1057,1056,1055,1054,1053,1052,1051,1050,1049,1048,1047,1046,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038,1037,1036,1035,1034,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1025,1024,1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1016,1015,1014,1013,1012,1011,1010,1009,1008,1007,1006,1005,1004,1003,1002,1001,1000,999,998,997,996,995,994,993,992,991,990,989,988,987,986,985,984,983,982,981,980,979,978,977,976,975,974,973,972,971,970,969,968,967,966,965,964,963,962,961,960,959,958,957,956,955,954,953,952,951,950,949,948,947,946,945,944,943,942,941,940,939,938,937,936,935,934,933,932,931,930,929,928,927,926,925,924,923,922,921,920,919,918,917,916,915,914,913,912,911,910,909,908,907,906,905,904,903,902,901,900,899,898,897,896,895,894,893,892,891,890,889,888,887,886,885,884,883,882,881,880,879,878,877,876,875,874,873,872,871,870,869,868,867,866,865,864,863,862,861,860,859,858,857,856,855,854,853,852,851,850,849,848,847,846,845,844,843,842,841,840,839,838,837,836,835,834,833,832,831,830,829,828,827,826,825,824,823,822,821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803,802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782,781,780,779,778,777,776,775,774,773,772,771,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761,760,759,758,757,756,755,754,753,752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738,737,736,735,734,733,732,731,730,729,728,727,726,725,724,723,722,721,720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674,673,672,671,670,669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657,656,655,654,653,652,651,650,649,648,647,646,645,644,643,642,641,640,639,638,637,636,635,634,633,632,631,630,629,628,627,626,625,624,623,622,621,620,619,618,617,616,615,614,613,612,611,610,609,608,607,606,605,604,603,602,601,600,599,598,597,596,595,594,593,592,591,590,589,588,587,586,585,584,583,582,581,580,579,578,577,576,575,574,573,572,571,570,569,568,567,566,565,564,563,562,561,560,559,558,557,556,555,554,553,552,551,550,549,548,547,546,545,544,543,542,541,540,539,538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,513,512,511,510,509,508,507,506,505,504,503,502,501,500,499,498,497,496,495,494,493,492,491,490,489,488,487,486,485,484,483,482,481,480,479,478,477,476,475,474,473,472,471,470,469,468,467,466,465,464,463,462,461,460,459,458,457,456,455,454,453,452,451,450,449,448,447,446,445,444,443,442,441,440,439,438,437,436,435,434,433,432,431,430,429,428,427,426,425,424,423,422,421,420,419,418,417,416,415,414,413,412,411,410,409,408,407,406,405,404,403,402,401,400,399,398,397,396,395,394,393,392,391,390,389,388,387,386,385,384,383,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369,368,367,366,365,364,363,362,361,360,359,358,357,356,355,354,353,352,351,350,349,348,347,346,345,344,343,342,341,340,339,338,337,336,335,334,333,332,331,330,329,328,327,326,325,324,323,322,321,320,319,318,317,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306,305,304,303,302,301,300,299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289,288,287,286,285,284,283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,269,268,267,266,265,264,263,262,261,260,259,258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,222,221,220,219,218,217,216,215,214,213,212,211,210,209,208,207,206,205,204,203,202,201,200,199,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187,186,185,184,183,182,181,180,179,178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166,165,164,163,162,161,160,159,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.	

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

1001	अगरौला	राष्ट्रीय राजमार्ग- 141,142,143,144,146,147,148,149,150,135,136,137,154 लिक मार्ग- 202,224,227,228,230,233,234,235,236,237,436,433,440,441,442,443,445,446,	
1029	मीरपुर हिन्दू	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 687,818,702,812,704,705,707,710,809,762,715,750,756,879,877,854,855,856,1026,1024,1041,1054,1055,1048,1045,907,908, ,909,115,1154,1164,1195,1166,1199,1188,1171,	
1112	सादिकपुर उर्फ काजीपुरा	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 102,103,104,105,106,112,132,136,139,141,93,83,79,78,76,70 / 209,144,145,102,100,99, 110,115,116,117,	
1002	अल्मीपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग-शून्य	

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि० / सा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

1046	नातू	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 27,28,30,31,32,33,34,200,201,202,203,254,255,256,367,366,365,364,363,361,360,351,350,463,464,466,467,369 / 783,370, 403,407,419,425,426,427,449,451,455,457,459 / 788,460,461,469,765,764,773,760,754,751,748,745,723,727,718,711,680, 676,675,672,667,647,643,649,632,633,615,622,625,626,627,630,628,682,528,482,489,476,200,198,189,187,186,185,99,98, 96,95,94,92,85,43,44,41,40,784,13,24,25,33,36,35,34,	
1008	मसूदाबाद बामला	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 79,80,84,86,90,92,89,136,140,154,155,157,160,16,17,18,19,20,21,22,45,46,47,48,49,77,84,85,86,103,104,105,106,107,108,73, 116,219,220,221,222,223,224,225,156,157,164,165,180,216,206,185,	
1006	लुत्कृत्लापुर नवादा	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 478,480,486,491,492,493,518 / 657,511,516,517,582,583,519,520,521,522,523,524,525,526,527,583,582,	
1005	हरमपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-शून्य जनपदीय मार्ग-शून्य लिक मार्ग- 457,458,460,327,284,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,229,195,192,193,189,161,158,156,154,152,	

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

भाग-3  
प्रारूप-5

क-चार मंजिला तक गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें-

क्रम संख्या	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर रुपये में	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर रुपये में
1	आर0सी0सी0	3 12,000	4 11,000
2	आर0बी0सी0	11,000	10,000
3	कडी, गार्डर पटिया, ज़ाट	9,000	9,000
4	टिनशेड, एस्बेसटस शेड, फाइबर शेड	7,000	7,000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	5,500	5,500

प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि दरवाजे छिडकी में महंगी लकड़ी तथा शीशम, सागौन, दावेदार या कम्प्रेस्ड वाटरपूफ बोर्ड या मेटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मार्बल स्टोन वर्टीफाईड टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।

द्वितीय श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निर्मांकित तरीके से निकाला जा सकेगा-

भवन का मूल्य=भवन में निहित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के भाग-2, 3, या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य मूल्य हास जैसा कि मूल्यांकन हेतु अनिवार्य निर्देश के क्रमांक 31 पर दिया गया है। (यदि लागू होता है तो)

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।



ख-चार मंजिला से अधिक मजिल वाले मल्टीस्टोरीज गैर वाणिज्यक भवनों के निर्माण की दरें तथा कामन फेसिलिटीज हेतु न्यूनतम मूल्य में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत

मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग में फ्लैट या अपार्टमेंट के कवर्ड एरिया की निर्माण दर तथा कामन फेसिलिटीज हेतु वृद्धि का प्रतिशत										
मल्टीस्टोरीज कामप्लेक्स का प्रचलित नाम	मोहल्ला का नाम जहां कामप्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आबंटित वी-कोड	सुपर एरिया (भूमि+निर्माण) की दर रू0 प्रति वर्ग मीटर में	भूमि का मूल्य व सुपर एरिया के निर्माण के मूल्य के योग पर कामन फेसिलिटीज का न्यूनतम मूल्य आंकने के लिये वृद्धि दर का प्रतिशत						
				प्रति पार्किंग	पावर बैकअप	सुरक्षा गार्ड	कन्स्यूनिटी सेन्टर	स्वीमिंग पूल	जिम	लिफ्ट
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
गोल्फ लिंक / लैण्डकाफ्ट / स्कार्डी	महरौली		26,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
महागुनपुरम	महरौली		26,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
आशियाना	महरौली		26,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
तनुश्री	महरौली		26,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
गुलमोहर टावर	महरौली		30,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
पंचशील प्राइमरोज	हरसांव		26,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
प्रतीक ग्रुप हाऊसिंग व ए0के0जी0 ग्रुप हाऊसिंग	सिद्धार्थ विहार		30,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
अन्य नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्रों में फ्लैट्स	अन्य नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्रों में फ्लैट्स		25,000	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

उप निबन्धक (पंचम)  
गजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गजियाबाद।

**नोट:-** (1) क्रमांक 4 में भूमि व सुपर एरिया का मूल्य जोड़कर बेसिक दरें दी है, जो भूतल/प्रथम/द्वितीय तल हेतु है। इन बेसिक दरों में 5 प्रतिशत की छूट, फ्लैट के तीसरी से दसवी मंजिल पर होने की दशा में अनुमन्य होगी। तथा फ्लैट के दशम मंजिल से ऊपर होने की दशा में 10 प्रतिशत छूट लागू होगी।

(2) उक्त बेसिक मूल्य अथवा उसमें निर्धारित तलों वाली छूट के उपरान्त क्रमांक 5 से 11 तक की कामन फ़ैसिलिटीज की वृद्धि की जायेगी। यदि बहुमंजिले परिसर/भवन में रेन वाटर हार्वैस्टिंग की संरचना की गयी हो तो, बेसिक दर में 5 प्रतिशत की छूट प्रत्येक तल पर अनुमन्य होगी।

(3) उक्त वृद्धि को बेसिक मूल्य में जोड़कर मूल्यांकन किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मूल्य अथवा फ्लैट के वास्तविक विक्रय मूल्य में, जो अधिक होगा, उस दर पर स्टाम्प अदा किया जायेगा।

(4) फ्लैट के साथ रिक्त भूमि भूतल पर या अन्य तलों पर होने अथवा साईड टैरिस होने की दशा में, रिक्त भूमि का मूल्य उस क्षेत्र के निर्धारित आवासीय दर के 50 प्रतिशत से फ्लैट के कुल मूल्य में जोड़कर मूल्यांकन किया जायेगा।

(5) कवर्ड एरिया से सुपर एरिया न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक होगा।

(6) बहुमंजिलीय कॉम्प्लेक्स में केवल पार्किंग के विक्रय होने की दशा में उसका मूल्यांकन का 2,00,000/- रुपये प्रति पार्किंग की दर से किया जायेगा।

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।


जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।


### मूल्यांकन हेतु अनिवार्य निर्देश

- 1- प्रत्येक ऐसे विलेख जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभाव्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इस सूची के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कॉलम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्टाम्प प्रभाव्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
- 2- विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
- 3- कृषिक भूमि के अन्तरण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किसान बही के सुसंगत अंश की तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- जिस आवासीय सम्पत्ति के सामने पार्क हो, उस भूमि की अकृषिक दरों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा। जिस आवासीय सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो तो ऐसी भूमि की न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर में 7.5 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियों विद्यमान हो तो ऐसी भूमि के मूल्य की गणना निर्धारित दर में 15 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। इस अनुदेश की व्यवस्थाएं चार मजिले आवासीय भवनों/अपार्टमेंट पर भी लागू होंगी परन्तु यह विशेष अनुदेश बहुमंजिले फ्लैट्स (चार मंजिल से अधिक) के मूल्यांकन के लिए लागू नहीं होगा। विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद एवं इनके द्वारा स्वीकृत कालोनियों में भूमि के पीछे सर्विस लेन/गली को दूसरा मार्ग नहीं माना जायेगा।
- 5- प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ उस सम्पत्ति पर पहुँचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी) तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र जिसमें निर्मित क्षेत्र विलेख के पक्षकारों के नाम, पति/पिता का नाम, मकान नम्बर, गली, मौहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को झापट करने वाले का नाम पता व मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण अनिवार्य होगा।


  
उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।


  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।


  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।


  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

- 6- बहुमंजिले भवनों के किराये की जो दरें इस सर्किल दर सूची में निर्धारित है, वे सभी दरें बेसिक दरें हैं। बहुखण्डीय वाणिज्यिक भवनों में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / दुकान का मूल्यांकन उस स्थान विशेष के लिए निर्धारित बेसिक दर के कमशः 85 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत के आधार पर एवं बेसमेंट एवं चतुर्थ तल पर स्थित होने की स्थिति में निर्धारित बेसिक दर के 65 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा, परन्तु एक मंजिला वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / दुकान का विक्रय यदि छत के अधिकार सहित किया जायेगा तो क्रमांक 6 पर अंकित छूट अनुमन्य नहीं होगी। यह छूट छत के अधिकार सहित दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्ण पर लागू होगी।
- 6(क)- चार मंजिल या उससे अधिक मंजिल वाले बहुखण्डीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों / दुकानों का मूल्यांकन सुपर एरिया प्रणाली से किया जायेगा। सुपर एरिया कवर्ड एरिया से 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी। कवर्ड एवं सुपर, दोनों एरिया का उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य है।
- 7- अकृषिक घोषित किये गये गाटा नम्बरनों की सूची इस रेट लिस्ट का भाग है तथा प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा समय समय पर इस सूची को अद्यावधिक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को उपलब्ध करायी जाये जो इस रेट लिस्ट का भाग होगी।
- 8- एक मंजिल से अधिक परन्तु चार मंजिल तक के आवासीय भवन (छत रहित) के भवन के अलग अलग तल के अन्तर्ण विलेख में भूमि की उस क्षेत्र की निर्धारित दर का भूतल पर 20 प्रतिशत, प्रथम तल व बेसमेंट के लिये 40 व अन्य मंजिलों हेतु 50 प्रतिशत कम करके मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त मूल्य में निर्माण की दर भाग-3 प्रारूप 5 क के अनुसार जोड़कर विलेख का मूल्य निकाला जायेगा। पार्किंग होने की दशा या केवल पार्किंग बिकने की दशा में कवर्ड पार्किंग का मूल्य 1.50 लाख व ओपन पार्किंग मूल्य 100000/- रु0 जुड़ेगा।

  
उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

  
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

  
अपर जिलाधिकारी (वि0 / सी0),  
गाजियाबाद।

  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

- 9- मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री की दर 40 रु0 प्रति घनमीटर निर्धारित की जाती है।
- 10- अन्तरित सम्पत्ति में बोरेवेल/या कुआं नल/बोरिंग आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा बोरेवेल का मूल्य 50000 /रु0 प्रति बोरेवेल होगा तथा कुआं का मूल्य प्रति कुआं 25000 /रु0 तथा नल का मूल्य प्रति नल 10000 /रु0 होगा।
- 11- अन्तरित सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत् होगा:-

क्र0सं0	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
01	फलदार वृक्ष	2000	4000
02	इमारती वृक्ष	2500	5000

- 12- वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक, भवनों में केवल छत विक्रय की दशा में निर्धारित अकृषिक भूमि की दर का 80 प्रतिशत की दर से देय होगा, बाहे छत किसी भी तल की क्यों न हो।
- 13- गैर वाणिज्यिक सम्पत्ति के विक्रय की दशा में उसके नक्शे के अतिरिक्त उस इकाई के चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या का नक्शा भी लेखपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
- 14- कृषि भूमि के लेखपत्रों के साथ भूमि से 200 मीटर की त्रिज्या का नजरी नक्शा देना आवश्यक होगा। कृषि भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि भूमि से इतर गतिविधि होने पर आबादां से सटी हुई भूमि की प्रारूप 4 (क) के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।
- 15- सूची में संलग्न ऐसे खसरा नं0 जिन पर धारा-143 की कार्यवाही हो चुकी है या भविष्य में होगी, उस खसरा नं0 के धारा-143 घोषित हो चुके भाग का मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र के निर्धारित अकृषिक दर से किया जायेगा।

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा10),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

- 16- वाणिज्यिक सम्पत्तियों में निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन मासिक किराये के 300 गुना से किया जायेगा। उपरोक्त सभी दरें अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति की न्यूनतम दरें हैं। निर्धारित दर प्रतिफल या मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उस मूल्य पर स्टाम्प देयता निर्धारित की जायेगी।
- 17- प्रारूप 4 में सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दरें, लिंक मार्ग की दरें हैं। यदि विक्रीत खसरा नम्बर जनपदीय मार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हो, जिनकी दरों का उल्लेख सर्किल दर सूची में नहीं किया हो तो उसका मूल्यांकन लिंक मार्ग के लिये निर्धारित दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि करके किया जायेगा। यदि भूमि सड़क पर हो व आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या में भी हो तो दोनों में से अधिक वाली दर से उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
- 18- प्रारूप 2 में स्थित मौहल्लों की वाणिज्यिक सम्पत्ति के किराये की दरें प्रारूप 4 में उल्लिखित दरों के समान होंगी।
- 19- जिन मौहल्लों/क्षेत्रों में दर सूची में कार्यालय या गोदाम/अन्य की दरें उल्लिखित नहीं वहां पर कार्यालय, गोदाम व अन्य की स्थिति में निर्धारित किराये की दर का 80 प्रतिशत से मूल्यांकन किया जायेगा, किन्तु तलवार/मंजिल वार छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- 20- किसी क्षेत्र का नाम सर्किल रेट लिस्ट में निर्धारित होने से छूटने की दशा में उसका मूल्यांकन निकटतम स्थित क्षेत्रों में से अधिकतम सर्किल दर वाले क्षेत्र की दर के अनुसार किया जायेगा। साथ ही यदि कोई सम्पत्ति सर्किल रेट लिस्ट के एक से अधिक दरों में आती हो, तो उसका मूल्यांकन अधिकतम वाली दर से किया जायेगा।
- 21- चार मंजिल तक के प्लोर एरिया के अन्तर्ण की स्थिति में आच्छादित क्षेत्र के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सुपर एरिया का मूल्यांकन किया जायेगा। परन्तु सुपर एरिया सहित कुल क्षेत्रफल भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।
- 22- 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्ण होने की स्थिति में रू0 100- वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भाग पर बेसिक किराये की दर में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। परन्तु 100.00 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

उप निबन्धक (पंचम)  
गजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गजियाबाद।

- 23- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं अन्य सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर विकसित आवासीय कालोनी/ग्रुप हाउसिंग जिनकी दरें अलग से निर्धारित नहीं हैं उस सम्पत्ति की दर जिस मार्ग के किनारें पर स्थित होगी, उस पर सम्पूर्ण योजना में निहित भूमि की दर वहीं होगी जो उस मार्ग विशेष के लिये कलेक्टर द्वारा नियत की जायेगी।
- 24- उक्त के अतिरिक्त मार्ग/मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्ति का तात्पर्य उस मार्ग पर स्थित कृषि भूमि हेतु सम्पूर्ण खसरें एवं अकृषिक की दशा में उस पर स्थित एक भूखण्ड/यूनिट/भवन/दुकान/शाँपिंग कॉम्प्लैक्स/माल आदि से है।
- 25- जहां अलग से से कोई औद्योगिक दर निर्धारित नहीं है वहां औद्योगिक भूमि कय करने की दशा में उस स्थान के लिये निर्धारित आवासीय दर की 80 प्रतिशत औद्योगिक दर होगी। यह छूट केवल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मास्टर प्लान में घोषित किये क्षेत्र में ही अनुमन्य होगी। यदि कोई स्थापित औद्योगिक इकाई विकीत की जाती है तो भी यह छूट उस इकाई पर भी अनुमन्य होगी चाहे वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित क्षेत्र में हो अथवा नहीं। औद्योगिक प्लाट पुनः विकय की दशा में एक पक्षकार द्वारा कामशियाल विभाग द्वारा जारी टीन नं0 दिये जाने पर ही छूट का लाभ अनुमन्य होगा।
- 26- वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक दोनों गतिविधियों वाले भवनों में आवासीय क्षेत्र का मूल्यांकन आवासीय दर से व्यवसायिक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यवसायिक दर से किया जायेगा परन्तु आवासीय क्षेत्र में निहित भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र की अकृषिक भूमि के लिये नियत दर से किया जायेगा।
- 27- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित/स्वीकृत ऐसी निर्माण/विकास योजना की सम्पत्तियों, जिसके उपयोग हेतु प्राधिकरण/उपक्रमों द्वारा विकसित पहुंच मार्गों का उपयोग किया जा रहा हो, का मूल्यांकन पहुंच मार्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जाएगा।
- 28- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित/स्वीकृत योजनाओं की सम्पत्तियों हेतु ऐसे विकास प्राधिकरण/उपक्रमों द्वारा निर्धारित नवीनतम दर या कलेक्टर की एतद्द्वारा निर्धारित दर में से जो भी अधिक हो, पर हस्तान्तरित सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

- 29- गाजियाबाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्राधिकरण या सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित/स्वीकृत कालोनी/बहुमंजिले भवन आदि की भूमि एक या एक से अधिक राजस्व ग्रामों की एक इकाई के रूप में अवस्थित हों, तथा हस्तान्तरित सम्पत्ति/सम्पत्तियां एक से अधिक मार्गों पर स्थित हों, तो कुल ग्रामों के सर्वाधिक चौड़े मार्ग की अधिकतम निर्धारित दर के आधार पर हस्तान्तरण सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।
- 30- यदि हस्तान्तरित सम्पत्ति एक से अधिक मार्ग पर स्थित है, तो अधिक चौड़े मार्ग की निर्धारित दर के आधार पर हस्तान्तरण सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, यदि उपरोक्त वर्णित सर्वाधिक चौड़ा मार्ग व भूखण्ड हेतु उपलब्ध सर्विस रोड के मध्य अन्य कोई हस्तान्तरण योग्य सम्पत्ति स्थित नहीं है, तो चौड़े मार्ग को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।
- 31- 20 वर्ष से अधिक पुराने एकल यूनिट भवनों में मूल्य हास निम्नानुसार देय होगा-  
 20 वर्ष तक के पुराने निर्माण के लिये - कोई हास नहीं  
 21 वर्ष से अधिक परन्तु 25 वर्ष पुराने निर्माण के लिये 20 प्रतिशत  
 26 वर्ष से अधिक परन्तु 30 वर्ष पुराने निर्माण के लिये 25 प्रतिशत  
 30 वर्ष से अधिक पुराने निर्माण के लिये 30 प्रतिशत (30 प्रतिशत से अधिक हास अनुमन्य नहीं होगा।  
 परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवन के आयु के सम्बन्ध में निम्न में से कोई प्रमाण निष्पादक द्वारा देना अनिवार्य होगा-  
 (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र।  
 (2) नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत परिषद द्वारा निर्गत गृहकर की रसीद या मूल्य निर्धारण प्रपत्र।  
 (3) बिजली या पानी का पुराना बिल जो भवन के निर्माण वर्ष को सिद्ध करे।  
 (4) कोई ऐसा निबन्धित अन्तरण विलेख जिसमें भवन के निर्माण वर्ष का उल्लेख किया गया हो। यदि निष्पादक द्वारा कोई प्रमाण निबन्धन के समय प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

उप निबन्धक (पंचम)  
गाजियाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),  
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।